



पत्रांक- 482 / वि०वि०मं०दि० / मु०नगर / कैम्प

दिनांक:-08.05.2026

विषय:- विज्ञापन सामग्री प्रकाशित करने के सम्बन्ध में।

विज्ञापन व्यवस्थापक
अमर उजाला,
मेरठ / मुजफ्फरनगर।
महोदय,

विज्ञापन व्यवस्थापक
दैनिक पश्चिम ज्योति,
मुजफ्फरनगर।

प्रथम प्रति / द्वितीय प्रति

कृपया अपने प्रतिष्ठित दैनिक/साप्ताहिक समाचार पत्र के एक अंक में दिनांक 09.05.2026 को संलग्न विज्ञापन प्रकाशनार्थ प्रेषित किया जा रहा है। निविदा सूचना का प्रकाशन निर्धारित पृष्ठ पर ही करने की व्यवस्था सुनिश्चित करें। उक्त के सन्दर्भ में उल्लेखनीय बिन्दु निम्नवत् है:-

1. समाचार पत्र में उक्त निविदा प्रकाशन 08 से.मी. चौड़ाई के कॉलम (Equivalent to 2 columns of News Paper) में प्रकाशित कराये जायेंगे।
2. हिन्दी फॉन्ट Krutidev 010 एवं फॉन्ट साईज 10-12-14 (यथा प्रदर्शित) का प्रयोग किया जायेगा।
3. अंग्रेजी फॉन्ट Times New Roman एवं फॉन्ट साईज 08-10-12 (यथा प्रदर्शित) का प्रयोग किया जायेगा।
4. प्रकाशन Running Matter के स्थान पर उक्त प्रारूपों में यथा स्वरूप ही प्रकाशित कराये जायेंगे।
5. कॉलम की ऊँचाई Content के अनुसार परिवर्तनीय (Variable) रहेगी। पक्तियों के बीच का Space उक्त उदाहरण के अनुरूप रहेगा। इस Space को बढ़ाकर विज्ञापन का आकार/(Height) अनावश्यक रूप से न बढ़ाया जाये।

प्रकाशन के बाद विज्ञापन आदेश की प्रथम मूल प्रति प्रकाशन हेतु प्रेषित सामग्री की मूल प्रति के साथ विज्ञापन शुल्क बीजक तीन प्रतियों में भुगतान प्रति रसीद टिकट सहित प्रकाशित विज्ञापन की दो सम्पूर्ण वाउचर प्रतियां संलग्न करते हुये भुगतान हेतु कार्यालय प्रबन्ध निदेशक, पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लि., मेरठ को प्रेषित करें।

विज्ञापन आदेश की प्रथम प्रति के स्थान पर फोटो प्रति प्रेषित करने पर सत्यापन/भुगतान सम्भव नहीं होगा।

विज्ञापन प्रकाशित होते ही विलम्बतः एक सप्ताह के अन्दर प्रकाशित विज्ञापन की एक कटिंग अद्योहस्ताक्षरकर्ता को सूचनार्थ अवश्य प्रेषित कर दी जाये। अन्यथा सम्बन्धित बीजक का सत्यापन/भुगतान सम्भव नहीं होगा।

यदि आपको सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग उत्तर प्रदेश तथा विज्ञापन एवं दृश्य प्रचार निदेशालय, भारत सरकार द्वारा विज्ञापन दरें स्वीकृत न हों तो कृपया विज्ञापन प्रकाशन न करें तथा अद्योहस्ताक्षरी को अविलम्ब इस आशय की सूचना देने का कष्ट करें।

उक्त निर्देशों के विपरीत तथा गलत अथवा भद्दे ढंग से प्रकाशित किये गये विज्ञापनों में निगम द्वारा नियमानुसार आवश्यक कटौती की जा सकती है अथवा सम्पूर्ण बीजक का भुगतान रोका/निरस्त किया जा सकता है।

संलग्नक-1. विज्ञापन आदेश प्रथम व द्वितीय प्रति।

2. विज्ञापन सामग्री।

भवदीय

पत्रांक: / वि०वि०मं० / मु०न० / तददिनांक

प्रतिलिपि उपरोक्त संलग्नको सहित निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक मुजफ्फरनगर हेतु प्रेषित:-

1. जनसम्पर्क अधिकारी, कार्यालय प्रबन्ध निदेशक प०वि०वि०नि०लि०, मेरठ।
2. मुख्य क्षेत्रीय अभियन्ता, (वाणि०) प०वि०वि०नि०लि०, मेरठ।
3. मुख्य अभियन्ता(वि.), मुजफ्फरनगर क्षेत्र, मुजफ्फरनगर
4. अधिशासी अभियन्ता, वि०वि०ख०-बुढाना/खतौली।
5. नोटिस बोर्ड।

भवदीय

अधीक्षण अभियन्ता
विद्युत वितरण मण्डल-द्वितीय
मुजफ्फरनगर

निविदा सामग्री

पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लि.
अधीक्षण अभियन्ता, विद्युत वितरण मण्डल-द्वितीय, मुजफ्फरनगर

निविदा सूचना

निविदा सं. एवं कार्य का संक्षिप्त विवरण

अल्प.का.जैम निविदा सं. 01 से 10/2026-27 के अन्तर्गत मण्डल कार्यालय सहित अधीनस्थ कार्यालयों में विभागीय कार्य हेतु कुल 10 नग वाहन ईंधन एवं चालक सहित किराये पर वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिये उपलब्ध कराने का कार्य।

ई.नि.सं. 11 खण्ड खतौली में अनुरक्षण का कार्य।

ई.नि.सं.12आर.ए.पी.डी.आर.पी. खतौली में परिवर्तक की दुलाई का कार्य।

अन्तिम तिथि:01 से 10 की 23.05.26 एवं 11व 12 की 06.06.26, 12 बजे

विस्तृत जानकारी एवं प्रपत्र वेबसाईट <https://gem.gov.in> & <https://etender.up.nic.in> पर उपलब्ध है। अग्रेत्तर समस्त सूचनाएँ वेबसाईट पर ही प्रदर्शित की जायेगी।

अधीक्षण अभियन्ता
विद्युत वितरण मण्डल-द्वितीय
मुजफ्फरनगर